(दिनांक 01.09.2005 तक संशोधित नियम की प्रति)

{"मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण, दिनांक 18 सितंबर, 1972 में प्रकाशित) }

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18 सितंबर, 1972

क्रं. 6550–2512–एक(1)– मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक (पेंशन) नियम, 1964 को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन इसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सैनिक को, सहायता देने के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित नियम बनाता है, अर्थात :–

नियम

1. *(1) ये नियम मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्माननिधि नियम, 1972 कहलायेंगे.*

   (2) ये नियम 22 जुलाई, 1972 से प्रभावशील होंगे.

2. *इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्वथा अपेक्षित न हो, :–*

(क) "परिवार" से तात्पर्य है तथा उसमें शामिल है, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, यथास्थिति उसकी पत्नि/उसका पति, नाबालिग पुत्र और नाबालिग सौतेले पुत्र, अविवाहित पुत्रियां तथा सौतेली अविवाहित पुत्रियां, ऐसे बालिग पुत्र और सौतेले पुत्र जो स्थाई रूप से विकलांग होने के कारण अपनी जीविका कमाने में असमर्थ हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिक पर पूर्णतः आश्रित हैं, या थे तथा ऐसे माता पिता या आजा आजी जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिक पर पूर्णतः आश्रित थे या हैं और जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं;

(ख) "स्वतंत्रता संग्राम सैनिक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है तथा उसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है:–

(एक) जो सन् 1919 से 1946 की अवधि के बीच स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में सरकारी एजेन्सी द्वारा मारा गया हो या जिसे फांसी दे दी गई हो; अथवा

(दो) जो सन् 1919 से 1946 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में सरकारी एजेन्सी द्वारा पहुंचाई गई चोट के फलस्वरूप अपनी आजीविका कमाने हेतु विकलांग हो गया हो; अथवा

*(तीन) जिसे सन् 1919 से 1946 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधी अपनी राजनैतिक गतिविधियों के कारण एक दिन या उससे अधिक के लिए कैद में रखा गया हो।**

*(चार) विलोपित ***

* *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14–19/95/एक/13, दिनांक 30 सितंबर, 1997 द्वारा पूर्व में प्रावधानित" "15 दिन "स्थान पर "1 दिन " संधोधित किया गया।*

** *सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन कमांक 6372–एक (1) दिनांक 22 सितम्बर 1975 द्वारा पूर्व में प्रावधानित "सक्रिय रूप से भाग लेने तथा आर्थिक स्थिति नाजुक " प्रावधान को विलोपित किया गया।*

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

(पाँच) जिसने आजाद हिन्द फौज आंदोलन की गतिविधियों में भाग लिया हो और जो सरकारी एजेन्सियों द्वारा मारा गया हो या जिसे फांसी दे दी गई हो या कैद में रखा गया हो या जो ऐसा विकलांग हो गया हो कि अपनी आजीविका न कमा सके या जिसकी आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई हो;

*(छः) उस संबंध में अपने समूह के नेता का प्रमाण पत्र पेश किए जाने के अध्यधीन रहते हुए, जिसमें गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के लिए दिनांक 15 अगस्त, 1955 तक गोवा राज्य क्षेत्र में प्रवेश किया हो, **

(सात) जो सन् 1919 से 1946 तक की कालावधि के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में वर्तमान पाकिस्तान अथवा "बंगला देश" (पूर्व बंगाल) में कैद में रखा गया हो;

(आठ) जो अंडरग्राउन्ड रहे हों किन्तु जिन्होंने कोई कैद नहीं भुगती हो, यदि वे (1) अपराधी उद्घोषित किए गए हों, (2) ऐसे व्यक्ति हों, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर दिए गए हों, किन्तु जो गिरफ्तार नहीं किए गए हों या (3) ऐसे व्यक्ति, जिनके लिए निरोधादेश जारी कर दिए गए हों, किन्तु तामील नहीं किए गए हों;

*"आठ–(अ) जो सन् 1919 से 1946 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी अपनी राजनैतिक गतिविधियों के कारण निरोधादेश के आधार पर जेल में निरोध में रखा गया हो और निरोध की अवधि ''एक दिन'' या अधिक हो; ***

*(नौ) जो उनके घरों में नजरबंद किए गए हों या जिन्हें उनके जिलों से निर्वासित कर दिया गया हो बशर्ते, नजरबंदी/निर्वासन की अवधि ''एक दिन'' या अधिक की हो। ****

(दस) जो भारतीय संघ की भूतपूर्व रियासतों के विलीनीकरण – आंदोलनों में 15 अगस्त, 1947 से रियासत के भारतीय संघ में प्रवेश की तारीख तक की अवधि में कैद भुगत चुके हों.

(ग्यारह) जिनकी संपत्ति, राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण जब्त या कुर्क कर ली गई हो या बेच दी गई हो;

(बारह) जो अपना पैसा या जीविकोपार्जन का साधन, राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण खो चुके हों;

* *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर 1987 द्वारा पूर्व में प्रावधानित "दिनांक 15 अगस्त 1955 को "स्थान पर "15 अगस्त 1955 तक" संशोधित किया गया।*

** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14–19/95/एक/13 दिनांक 30 सितम्बर 1997 द्वारा पूर्व में प्रावधानित "15 दिन" के स्थान पर एक दिन संशोधित किया गया।*

*** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14–19/95/एक/13 दिनांक 30 सितम्बर 1997 द्वारा पूर्व में प्रावधानित "15 दिन" के स्थान पर एक दिन संशोधित किया गया।*

created using BCL easyPDF Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

(तेरह) जिसने रीवा चावल कांड, पिपलोदा कांड, कुरवाई आंदोलन, चरण पादुका आंदोलन, सोहावल गोली काण्ड, ग्वालियर जागीर कष्ठम विरोधी आंदोलन तथा ओरछा आंदोलन में भाग लिया हो. प्रजामंडल आंदोलन, हैदराबाद आर्य समाज "आंदोलन" में भाग लिया हो. [*

*"(चौदह) जिसमें दस कोड़े/बेंतों की सजा भोगी हो" ***

*"(पन्द्रह) जिसने उज्जैन जिले में हुए मजदूर आंदोलन, वर्ष 1946–47 में भाग लिया हो," ****

स्पष्टीकरण–एक– भूतपूर्व मध्यभारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्य में 1946 तक का समय 15 अगस्त तक बढ़ाया दिया जायेगा.

*स्पष्टीकरण–दो– यदि कोई व्यक्ति उप खण्ड (सात) के अधीन उसे कैद में रखे जाने के संबंध में जेल का प्रमाण पत्र पेश करने में असफल रहे तो कैद में रखे जाने बाबत् पंजाब/पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या पंजाब/पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा." *****

स्पष्टीकरण–तीन– यदि कोई व्यक्ति उसे कैद या निरोध में रखे जाने के संबंध में जेल का प्रमाण पत्र पेश करने में असमर्थ हो तो नियम–2 के उप खंड (सात) को छोड़कर, खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए उस जिले के या समीपवर्ती किसी जिले के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सैनिक का प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा.

स्पष्टीकरण–चार– यदि कोई सैनिक अपने द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किसी रूप में भाग लेने संबंधी जेल का रिकार्ड अथवा अन्य सरकारी प्रमाण अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत न कर सकें तो उसके जिले के या समीपपर्ती जिले के किसी प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सैनिक द्वारा प्रमाणीकरण जिसे लोक सभा या विधान सभा के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य के द्वारा ताईद किया गया हो स्वीकार कर लिया जावेगा. लोक सभा/विधान सभा सदस्य के लिए प्रमाणित किए जा रहे व्यक्तिगत सैनिक का ज्ञान होना आवश्यक होगा";

"स्पष्टीकरण–पांच– यदि कोई स्वतंत्रता संग्राम सैनानी अन्य राज्य के किसी जिले की सूची में शामिल हो, तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सैनानी को इस राज्य में सम्मान निधियां अन्य सुविधा के लिए पात्रता नहीं रहेगी";

* *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 21 नवम्बर 1984 एवं 10 फरवरी 1988 द्वारा संधोधित कर जोडा गया।*

** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 1985 द्वारा संधोशित कर जोडा गया।*

*** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 1987 द्वारा संधोधित कर जोड़ा गया।*

**** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर 1987 द्वारा संधोधित कर जोड़ा गया।*

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

"स्पष्टीकरण–छः– उपखंड (तीन) के अंतर्गत कैद की अवधि की गणना के लिए दोष सिद्ध कैद की अवधि, निरोध में रखे जाने की अवधि और विचाराधीन बंदी के रूप में बिताई गई अवधि सम्मिलित की जावेगी";

*(ग) विलोपित **

(घ) ''वृद्धावस्था'' से तात्पर्य 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने से है।

3. (1) राज्य शासन निम्नलिखित व्यक्तियों को आजीवन मासिक सम्मान निधि स्वीकार कर सकेगा :–

(क) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक;

*(ख) मृत स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के परिवार के सदस्य ***

(ग) उस स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के परिवार के सदस्य, जो सन् 1919 से 1946 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में सरकारी एजेन्सी द्वारा मारा गया हो या जिसे फांसी दे दी गई हो यह सम्मान निधि उसी हालत में दी जाएगी जबकि ये सदस्य उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया या बहुत अधिक सीमा तक उस पर आश्रित रहे हों और जिन्हें गरीबी का जीवन बिताना पड़ रहा हो :–

परन्तु यह और कि सम्मान निधि तभी दी जाएगी जब स्वतंत्रता संग्राम सैनिक 1 नवंबर, सन् 1956 को गठित मध्यप्रदेश का निरंतर रूप से रहवासी रहा हो :

*परन्तु यह भी कि इन नियमों के अधीन स्वीकृत सम्मान निधि पाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की मृत्यु के बाद यह सम्मान निधि उसकी विधवा पत्नि को जीवन पर्यन्त दी जाएगी।***

*परन्तु यह और भी कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14–19/95/एक/13, दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा संशोधित ''एक दिन'' से कम अवधि के लिए कैद में रखा गया अथवा दस कोड़े/बेंत की सजा से कम सजा पाया हुआ व्यक्ति सम्माननिधि पाने के लिए हकदार नहीं होगा।****

(2) राज्य शासन भूतपूर्व भोपाल राज्य में सन् 1949 में हुए गोली काण्ड अथवा लाठी चार्ज में मारे गए व्यक्तियों के आश्रतों को तथा ऐसे घायल व्यक्तियों को जो अपनी आजीविका कमाने हेतु विकलांग हो गये हों, मासिक सम्मान निधि भी मंजूर कर सकेगा।

* *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त, 1986 द्वारा पूर्व में प्रावधानित खण्ड ''मृत स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के परिवार के सदस्य यदि उस परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी ही नाजुक हां'' को संशोधित कर विलोपित किया गया।*

** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त, 1986 द्वारा पूर्व में प्रावधानित भाग '' यदि उस परिवार की आर्थिक स्थिति बडी ही नाजुक हो'' सेशाधित कर विलोपित किया गया।*

*** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी, 1984 द्वारा पूर्व में प्रावधानित मांग '' यदि उस परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी ही नाजुक हो'' संशोधित कर विलोपित किया गया।*

**** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई, 1985 द्वारा ''10 कोडे/बेत की सजा से कम पाया हुआ व्यक्ति'' संशोधित कर जोडा गया। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14–19/95/1/13, दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा पूर्व में प्रावधानित ''15 दिन'' के स्थान पर '' 1 दिन'' संशोधित किया गया।*

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

(3) "स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कम से कम तीन महीनों की अवधि के लिए भूमिगत रहना";

*"भूमिगत हो जाना'' सम्माननिधि प्रदान करने के प्रयोजनार्थ "भूमिगत यातना"" नहीं है, फरार हो जाने (या भूमिगत हो जाने) तथा गिरफ्तारी/निरोध से बचने की बाध्यता किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की किसी कार्यवाही के विरोध में उत्पन्न हुई हो वह पुलिस/न्यायालय की, जिसने गिरफ्तारी का कोई वारंट जारी न किया हो, किसी प्रत्याशंकित कार्यवाही के भय या आशंका से उत्पन्न न हुई हो। शासकीय अभिलेखों की अनुलब्धता की दशा में किसी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक का प्रमाणपत्र स्वीकार किया जा सकेगा, जो तीन माह का कारावास भुगत चुका हो और उसी राजस्व संभाग का हो. **

*(4) उस संबंध में अपने समूह के नेता का प्रमाण पत्र पेश किए जाने के अध्यधीन रहते हुए, जिसने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के लिए तारीख 15 अगस्त, 1955 तक गोवा राज्य क्षेत्र में प्रवेश किया हो। ***

*(5) राज्य शासन ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को भी राज्य सम्माननिधि मंजूर कर सकेगा जिन्हें केन्द्रीय सम्मान पेंशन स्वीकृत है.****

*''(6) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, राज्य सम्मान निधि का लाभ स्वीकृति आदेश के दिनांक से प्राप्त करने के पात्र होंगे.'' *****

यह संशोधन उक्त नियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

4. "(1) रूपये 4000/– (रू. चार हजार) प्रतिमाह राज्य सम्मान निधि स्वीकृत की जावेगी।"

*2. उक्त संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। ******

परंतु जिन मामलों में पहले निर्णय लिए जा चुके हों, उन्हें भी पुनरीक्षित नियमों के अनुसार वृद्धि का लाभ दिया जावेगा और यह स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, जिन्हें उपरोक्त से अधिक दर पर सम्मान निधि प्राप्त हो रही है, उन्हीं दरों पर ऐसी सम्मान निधि प्राप्त करते रहेंगे; परंतु यह और कि राज्य शासन स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की हैसियत तथा उसकी विशेष गृणोत्कृष्ट सामाजिक सेवा को दृष्टि में रखते हुए योग्य व्यक्तियों के मामले में सम्माननिधि की रकम को बढ़ाकर अधिक से अधिक 300/– रूपये तक कर सकेगा।

* *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 अप्रैल, 1987 द्वारा संशोधित कर जोडा गया।*

** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर, 1987 द्वारा पुर्व में प्रावधानित ''दिनांक 15 अगस्त, 1955 का'' के स्थान पर ''15 अगस्त, 1955 तक'' संशोधित किया गया।*

*** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 9 फरवरी 1988 द्वारा संशोधित कर जोडा गया।*

**** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14–19/95/1/13, दिनांक 8 मार्च, 1999 द्वारा संशोधित कर जोडा गया।*

***** *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–111/2001/1/13, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा ''रूपये 2000/– के स्थान पर रूपये 4000/– की राशि संशोधित की गई।*

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

(2) सम्माननिधि की मंजूरी के समय भुगतान आदेश में दर्शाई गई परिवार के सदस्यों की संख्या यदि बाद में घट जाए तो उप नियम (1) के अनुसार सदस्यों की विद्यमान संख्या के आधार पर सम्माननिधि का फिर से हिसाब लगाया जाएगा।

(5) इन नियमों के अंतर्गत आने वाली सम्माननिधि निम्नलिखित स्थितियों में बंद हो जाएगी:–

(एक) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के संबंध में उनकी मृत्यु हो जाने पर;

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की पुत्रियों और सौतेली पुत्रियों के संबंध में उनकी मृत्यु या उनका विवाह हो जाने पर;

(तीन) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के नाबालिग पुत्रों, सौतेले पुत्रों के संबंध में उनकी मृत्यु या उनके बालिग हो जाने पर परंतु जब कोई पुत्र अथवा सौतेला पुत्र मध्य प्रदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो तब उसे 22 वर्ष की आयु तक उसका अध्ययन समाप्त होने तक, जो भी अवधि पहले समाप्त हो, सम्माननिधि प्राप्त होती रहेगी;

(चार) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के बालिग पुत्रों तथा सौतेले पुत्रों के संबंध में उनकी मृत्यु हो जाने पर;

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–96/99/एक/13, दिनांक 9 जून, 2000 द्वारा संशोधित

*(पांच) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की विधवा पत्नि के संबंध में, उसकी मृत्यु हो जाने पर;**

(छ:) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के माता पिता और आजा आजी के संबंध में उनकी मृत्यु हो जाने पर;

6. (1) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के अंतर्गत अपेक्षित सूचना न दे और इस प्रकार उस रकम से अधिक रकम ले ले जिसे पाने का अधिकारी है तो वह ली गई ऐसी अधिक रकम, एक मुश्त या उसे मिलने वाली मासिक सम्माननिधि से मासिक किश्तों में काटकर वापस करेगा।

यदि ऐसी अधिक रकम ऊपर बताये अनुसार वापस न की गई हो तो वह उससे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

(2) आगामी आदेशों तक, खजाना संहिता और सरकारी पेंशन भोगियों को लागू होने वाले नियमों के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, इन नियमों के अंतर्गत सम्माननिधि पाने वालों पर भी लागू होंगे।

7. उन व्यक्तियों के मामलों पर जिनको सम्माननिधि या नगद रूप में सहायता पहले भी दी जा चुकी हो अथवा जिनके दावे राज्य पुनर्गठन के पहले या बाद में पहले ही नामंजूर किए जा चुके हों, अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में पुनर्विचार नहीं किया जाएगा परंतु उन व्यक्तियों के मामलों को जिनको पुरानी दरों के अनुसार सम्माननिधि मंजूर की गई हो स्वप्रेरणा से नवीन दरों के अनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा।

** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–96/99/एक/13, दिनांक 9 जून,2000 द्वारा "विधवा पत्नी के संबंध में उनकी मृत्यु या पुनर्विवाह हो जाने पर" के स्थान पर "उनके विधवा रहते हुए मृत्यु हो जाने पर" संशोधित किया गया।*

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

8. इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत सम्मान निधि पर होने वाला व्यय, अनुदान संख्या–2, शीर्ष–288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–आयोजनेत्तर–ग–स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों, उनके आश्रितों आदि को पेंशन, स्वतंत्रता सेनानियों को भत्ते तथा उपदान–1974–75 में डाला जाएगा।

*9. इन नियमों के अंतर्गत सम्माननिधि देने के लिए आवेदन पत्र इन नियमों के संलग्न फार्मों में जिन आधारों पर सम्माननिधि का दावा किया गया हो, उसके पूरे ब्यौरे देते हुए संबंधित जिलाध्यक्ष कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। जहां से यथोचित् परीक्षण के बाद राज्य शासन को भेजा जावेगा। **

10. राज्य शासन को, किसी स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की हैसियत एवं उसकी विशेष गुणोत्कृष्ट सेवा को दृष्टि में रखते हुए, उपयुक्त मामलों में आवेदन पत्र दिए बिना ही आर्थिक तथा अन्य सहायता मंजूर करने की शक्तियां होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

मु.वि. गर्दे
उप सचिव

* *सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 दिसम्बर, 1987 द्वारा संशोधित किया गया।*

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image